बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

सं.– 03/आ.1–98/2024 अंश'ग'....................../श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज के स्तर से प्राप्त आरोप पत्र जिसमें किशनगंज जिले के पदस्थापन काल से संबंधित आरोपों यथा– नियमपूर्वक कार्यों का निर्वहन नहीं किया जाना, राशि का दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता आदि आरोपों में संकल्प संख्या–368307 दिनांक–20.02.2026 द्वारा **"पेंशन से सदा के लिए 25 प्रतिशत की राशि की कटौती"** की शास्ति अधिरोपित की गयी। इनके द्वारा शास्ति के संबंध में अपील किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 के कंडिका 2 में अंकित है कि सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, हालांकि ज्ञापन के रुप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी। श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी तो दायर नहीं किया गया है, परंतु उनके अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया।

3. श्री राजेश कुमार सिन्हा के आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार करते हुए सक्षम प्राधिकार को यह परिलक्षित हुआ है कि इन्होंने अपने आवेदन में उन्हीं बातों का दोहराव किया है, जो इनके द्वारा जांच/संचालन के दौरान कहीं गई है और जिसपर भली–भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत शास्ति विनिश्चित की गई, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हुई है। बेंच डेस्क की बिना आपूर्ति हुए फर्जी भुगतान के इस महत्वपूर्ण मामले में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा यह कहा जाना कि सामग्रियों की प्राप्ति अथवा विपत्र के जांच किए जाने का दायित्व उनका नहीं था, यह कदापि स्वीकारणीय नहीं हो सकता है। विपत्र की निकासी कर उसका भुगतान करने की भूमिका (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के रूप में श्री सिन्हा का यह दायित्व था कि वे प्रत्येक भुगतान की वैधानिकता एवं उसके सही होने का सत्यापन कर उससे संतुष्ट होने के पश्चात ही भुगतान करते। किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र अथवा विपत्र को सही मानकर बिना सामग्री आपूर्ति के भुगतान किया जाना घोर कदाचार, मिलीभगत एवं वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट द्योतक है।

4. आलोच्य अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) की सक्षम प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा के उपरांत श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार आलोच्य पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक– 03 / आ०1–98 / 2024 अंश'ग' 1/436398 / पटना, दिनांक– 10 / 06 / 2026
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि. कोषांग) वित्त विभाग, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत, पता–शेरशाह रोड, गुंड़ की मंडी (गुप्ता कॉलोनी), अपोजिट सकड़ी गली मोड़, पटना, पिन–800007 / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-06-2026 18:45:44
निदेशक (प्रशासन)